प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

तीन अभियुक्तों को हुयी आजीवन कारावास की सजा

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश, कोर्ट संख्या-12 सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण कर लूट के प्रयास में हत्या कारित करने वाले आरोपियों को सजा सुनायी गयी है। पुलिस द्वारा थाना महोली से मु0अ0सं0 382/07 धारा 302/393/34 भा.द.वि. थाना महोली बनाम 1.करन पुत्र रामकिशुन राठौर निवासी ग्राम गंगापुर मजरा उमरिया थाना कोतवाली नगर सीतापुर 2.पंकज मिश्रा उर्फ संकटा प्रसाद पुत्र चन्द्रभूषण मिश्रा ग्राम पिपड़ी थाना राकोट सीतापुर 3.बंटी मिश्रा उर्फ रवि मिश्रा पुत्र पारस नाथ मिश्रा निवासी ग्राम बड़िया हाल पता तरीनपुर रामकोट जनपद सीतापुर में न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। श्रीमान न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश, कोर्ट संख्या-12 सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण 1.करन 2.पंकज मिश्रा व 3.बंटी मिश्रा उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं तीस हजार रु0 के अर्थदण्ड तथा धारा 393/34 भादवि के अन्तर्गत सात वर्ष का कठोर कारावास व पंद्रह हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।